


10

R-429-III 2003



1. छोटा कोल तनय श्री छकौड़ी कोल
2. हिन्दलाल कोल तनय श्री अंगनू कोल
3. लखूलाल कोल तनय श्री अंगनू कोल

उक्त तीनों त्रिवासीगण ग्राम कोरांव, तह. त्योंधर, जिला-रीवा

----- अ वेदक

----- अनावेदक

निगरानी विस्तृ निर्णय एवं आदेश
 कमिश्नर रीवा संभाग रीवा म.प्र.
 दि. 24.02.03 जो उनके द्वारा
 प्रकरण नं. 28/निगरानी/2002-03
 में पारित किया जाकर आवेदकगण
 का आवेदन पत्र बावत पुनर्स्थापन
 प्रकरण, निरस्त किया गया।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.
 भू-रा.सं. सन् 1959 ई.

मान्यवर,
 निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों
 पर प्रस्तुत है :-

1. यह कि निर्णय एवं आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक -
 24.2.03, विधि, प्रक्रिया के विस्तृ है और निरस्त होने
 योग्य है।
2. यह कि आवेदक गण ने कलेक्टर रीवा, जिला-रीवा म.प्र.:

क्रमशः .. Commissioner

Handwritten notes:
 07/03/03 m.p.
 Advocate Rms
 07/03/03
 07/03/03
 07/03/03

9-12-14

आवेक वी-अर-के वीस आवेक
नहीं। पूर वेर-अर उनके आरिमायक आवेक
थे। समने-समने पर आवेक लगाई गई,
परन्तु वीस आवेक नहीं। अतः आवेक
रखें उनके आरिमायक वी अनुपारिमायक के
कारण प्रकरण अरन वीरत में आवेक
किया जाता है। प्रकरण आवेक विचार है।

अ
आवेक